न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 742 / 2023
अनवान : –

1. राजाराम पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता संख्या 128 / 112 की कुल 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि मे वादी का नाम राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल दर्ज है जो कि गलत है वादी का वास्तविक व सही नाम वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड आदि में राजाराम पुत्र हरदयाल दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम राजाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजाराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल पत्रावली किया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का सही नाम राजाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्रप्रसाद दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम राजेन्द्रप्रसाद के स्थान पर राजाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता संख्या 128 / 112 की कुल 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1 / 5

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम राजाराम पुत्र हरदयाल है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता संख्या 128/112 की कुल 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल के स्थान पर राजाराम पुत्र हरदयाल के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:35 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा - डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 742 / 2023

अनवान : –

1. राजाराम पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन ~~भगवान~~ ढण्ढेला तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 742 सन 2023 निर्णय दिनांक- 29/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के खाता संख्या 128 / 112 की कुल 5.7350 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल के स्थान पर राजाराम पुत्र हरदयाल के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हरदयाल नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 29/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:35 IST
Reason: SelfAttested